52

संख्या– /XVI(1)/18/7(5)/17

प्रेषक,

डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1

देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0–424/1–1(102)/2017–18/दिनांक–12 दिसम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–27 दिसम्बर, 2017 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि ₹120039 हजार के सापेक्ष ₹115039 हजार (रूपये ग्यारह करोड पचास लाख उनतालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न योजना मद एवं कम्प्यूटर आई0डी0 विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

13. इस धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं के लिये ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत मदों में उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–27 दिसम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक–30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. जिन योजना मदों में धनराशि निर्गत की जा रही है उसमें धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनान्तर्गत मदों में केन्द्रांश की धनराशि तो सम्मिलित नहीं है, यदि योजना मदों में केन्द्रांश की धनराशि सम्मिलित है तो सर्वप्रथम केन्द्रांश धनराशि का पूर्ण उपयोग किया जायेगा। तदपरांत आख्या एवं विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए, अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में शासन के अनुमोदन के उपरांत ही धनराशि अवमुक्त की जाय

क्रमशः2

15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व न ही अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। मानक मद 01 वेतन–03 मंहगाई भत्ता–06–अन्य भत्ते से पुर्नविनियोग पूर्णतः वर्जित है।
17. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित मदों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
18. कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0–8 पर प्राप्त करते हुए व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय। बजट प्रावधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय धनराशि का नियमित लेखा जेखा का मिलान महालेखाकार से करते हुए इसका प्रमाणित विवरण वित्त विभाग, बजट निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।
19. यदि किसी योजना में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को अहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
20. मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी। उक्त मद में भुगतान सक्षम अनुमोदनपरांत नियुक्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों के सम्बन्ध में ही नियमानुसार वहन किया जाय।
21. चालू योजनाओं में धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना की कियान्वयन अवधि वर्तमान में जीवित हो। यदि योजना की कियान्वयन अवधि समाप्त हो गयी हो तो ऐसी योजना में धनराशि, योजना कियान्वयन की अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही निर्गत की जायेगी।

कमशः3

22. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–

23. फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें के अन्तर्गत अंकित संलग्न सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

24. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–148/वित्त–4/2018, दिनांक– 19 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–कम्प्यूटर आई0डी0

भवदीय,

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या–212 /XVI(1)/18/7(5)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एन0उप्रेती)
उप सचिव